न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र.   / 2015 पुनरीक्षण   निग /3232/I/15
नवीन पु. 3232/15

1. जगत सिंह पुत्र हरप्रसाद घोसी
2. लाखन सिंह पुत्र हरप्रसाद घोसी
3. मेहताब सिंह पुत्र हरप्रसाद घोसी
   निवासीगण गढा तहसील राहतगढ जिला सागर
4. बाबू सिंह पुत्र मूलचंद घोसी
   निवासी ग्राम इटैया तहसील त्योंदा जिला विदिशा
5. जितेन्द्र कुमार नाबालिग पुत्र वीरेन्द्र सिंह सरपरस्त पिता वीरेन्द्र सिंह पुत्र मूलचंद घोसी निवासी ग्राम इटैया तह. त्योंदा जिला विदिशा (म.प्र.)

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1. राजेश कुमार पुत्र छोटेलाल राय
   निवासी बंडा तहसील बंडा जिला सागर
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र मथुरा प्रसाद लोधी
3. पान बाई पत्नी मथुरा प्रसाद लोधी
   निवासीगण ग्राम कोलुआ तह. राहतगढ जिला सागर (म.प्र.)
4. म.प्र. शासन

.... अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव अभि० द्वारा आज दि. 1-10-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-10-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
1-10-15 एडवोकेट
ग्वालियर

प्रतिलिपि प्राप्त
1-10-15

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला विदिशा (म.प्र.) द्वारा प्रकरण कं. 42/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 4.8.15 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि –

संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, आवेदकगण के विरूद्ध हल्का पटवारी ने अनुविभागीय अधिकारी बासौदा के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट पेश की ग्राम इटैया तहसील स्योंदा जिला विदिशा में स्थित कृषि भूमि कुल किता 6 रकवा 25 बीघा का खाता चैतुआ पुत्र रमशैया सोहरिया के नाम था। उक्त खाता आवेदकगण के नाम अंकित हो गया है वर्तमान में चैतुआ के नाम अंकित नहीं है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी बासौदा के न्यायालय में प्रकरण कं. 160/बी–121/2009–10 कायम कर अग्रिम कार्यवाही करते हुये आवेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 11.5.2012 द्वारा राजस्व अभिलेख में आवेदकगण के नाम अंकित भूमि को चैतुआ पु.त्र रमसैया सोरिया तहसील त्योंदा जिला विदिशा के नाम दर्ज करने के आदेश दिये।

2– यह कि अनुविभागीय अधिकारी बासौदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 115.2012 के विरूद्ध आवेदकगण ने अपर कलेक्टर विदिशा के समक्ष प्रथम अपील पेश की जो आदेश दिनांक 04.08.2015 द्वारा निरस्त की गई । अतएव आवेदकगण उक्त आदेश से व्यथित होकर उपरोक्त आधारों के साथ निम्न आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत है –

XXIX(a)-BR(H)-11

359

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3232-एक/15 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	